

(4) **विधवा पुर्नविवाह योजना**  
**Widow Re-marriage Scheme**

<b>उद्देश्य</b>	विधवाओं को पुर्नविवाह के लिए प्रेरित करना।
<b>पात्रता</b>	विधवा महिलाएं।
<b>सहायता</b>	दम्पति को 25,000/-₹० की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
<b>प्रक्रिया</b>	आवेदन पत्र के साथ विधवा के प्रथम विवाह की तिथि, विधवा होने की तिथि, विधवा पुर्नविवाह की तिथि तथा हिमाचली प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी संलग्न किये जाने अनिवार्य है।
<b>सम्पर्क अधिकारी</b>	सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी।